

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 58 / 2018-19

राजेश कुमार राय बनाम् बुचिया देवी वगै0

-: आदेश :-


16.09.2022


प्रस्तुत वाद आवेदक राजेश कुमार राय, पे0-रूदन राय, साकिन-बीरनकित्ता, थाना-बलबड्डा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-बीरनकित्ता नं0-382, जमाबंदी नं0-18 के अन्दर दाग नं0-105 के अन्दर रकवा-00-05-00 धूर जमीन से विपक्षी (1) बुचिया देवी, पति-बुधन राय, (2) देवानी राय, पिता-बिजली राय, (3) दिनेश राय, पिता-रोहीन राय, (4) गणेश राय, पिता-रोहिन राय, (5) मोहन राय, पिता-नेमानी राय, (6) रोहिन राय, पिता-स्व0 बिजली राय, (7) नेमानी राय, पिता-स्व0 बिजली राय (8) युगेश राय, पिता-रोहिन राय, सभी साकिन-बीरनकित्ता बेलनीगड़, थाना-बलबड्डा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक-925/रा0 दिनांक-04.08.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोंपरान्त उभय पक्ष प्रासंगिक जमाबंदी नं0-18 के वंशज होने, प्रासंगिक मामला आपसी बंटवारा से संबंधित रहने के कारण उच्छेदी हेतु दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Sunder Kumar Singh
Ad
20/09/22

Seen
Mr. Saud Al.
Adv.
2/11/2022